monash public library service

CITY OF MONASH

सदस्यता के नियम

- मल्टिमीडिया के अतिरिक्त अधिकांश वस्तुओं के लिये लोन 28 दिनों के लिये दिया जायेगा। अधिकांश मल्टिमीडिया की वस्तुओं के लिये लोन केवल 14 दिनों के लिये दिया जायेगा। लोन पर ली गयी वस्तुओं की संख्या-सीमा के ज़ारी नियमों के लिये कृपया *स्वागतम्* पृष्ठ देखें।
- पुस्तकालय के किसी अन्य सदस्य द्वारा मांगे न जाने की अवस्था में कोई भी वस्तु केवल दो बार ही फिर से लोन पर दी जायेगी। दोबारा लोन पर लिये जाने के लिये व्यक्तिगत रूप से , फ़ोन द्वारा या इंटरनेट द्वारा निवेदन किया जा सकता है।
- पुस्तकालय से कोई भी वस्तु लोन पर लेने के समय पुस्तकालय कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। कोई अन्य पहचान-पत्र , जिस पर नाम व पता अंगित हो , पेश करने पर इस नियम में अपवाद किया जा सकता है।
- नाम और / अथवा पते में परिवर्तन होने की स्थिति में सदस्यों को मोनाश सार्वजनिक पुस्तकालय को सूचित करना आवश्यक है।
- *सूचना गोपनीयता नियम 2000* के तहत पुस्तकालय के सदस्य किसी ज़ारी वैधानिक पहचान-पत्र को पेश कर के किसी कर्मचारी द्वारा अपने पंजीकरण के समय दी गयी सूचना को देख सकते हैं।
- यदि कोई सदस्य देय-तिथि के बाद कोई वस्तु लौटायें , तब उन्हें ओवरड्यू ज़ुर्माना भरना पड़ेगा।
- लोन पर ली गयी किसी वस्तु को क्षति पहुंचने की स्थिति में पुस्तकालय के कर्मचारी को सूचित करना आवश्यक होगा। क्षति की भरपायी के लिये कार्डधारक या उनके अभिभावक को ज़ुर्माना देना होगा। ज़ुर्माने की रकम में वस्तु का मूल्य और कार्यकारी शुल्क शामिल होगा , जो वापस नहीं दिया जायेगा।
- लोन लेने से पहले किसी क्षतिग्रस्त वस्तु के विषय में पुस्तकालय के कर्मचारी को सूचित करना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक सदस्य को केवल एक सदस्यता कार्ड प्राप्य होगा। कार्ड के खोने या चोरी हो जाने की स्थिति में पुस्तकालय को तुरन्त सूचित करें। नये कार्ड के लिये शुल्क देय होगा।
- सदस्यता के नियमों की पूरी प्रतिलिपि के लिये पुस्तकालय के किसी कर्मचारी को संपर्क करें (क्षेत्रीय नियम संख्या - 3 मोनाश सार्वजनिक पुस्तकालय से अवतरित)।